

(14)

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक, ज्येष्ठ, आगरा मण्डल, आगरा।

सेवामें,

प्रबन्धक,

राज्य शिक्षा निदेशक, ज्येष्ठ, आगरा मण्डल, आगरा।

क्रमांक: सी 000/मान्यता/1804-06 /95-96 दिनांक: 30 5 99

शासकीय उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता पत्रों में।

महोदय,

शासकीय संख्या: 217/15-6-92-18-स्त: 7/89 दिनांक 11-5-92 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे:-

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/कृष्ण/प्रसाद अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करके की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ०प्र० ज्येष्ठ शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

अत्यापित प्रतिलिपि

सहायक शिक्षा निदेशक, ज्येष्ठ, आगरा मण्डल, आगरा।

पू०सं०सी०२२०/मान्यता/

/95-96 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक, ज्येष्ठ, उ०प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2-सचिव, उ०प्र० ज्येष्ठ शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3-समस्त जिला ज्येष्ठ शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल।